क्रम-संख्या--- 2017

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1914/सत्रह-वि---1-1(क) 30-1989

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों का आरक्षण) विधेयक, 1989 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और कतिपय नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1989 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 20 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों का आरक्षण

2--(1) राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के पक्ष में पदों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायगा:--

(एक) समूह "क", समूह "ख" और समूह "ग" के पदों में पन्द्रह प्रतिशत ;

(दो) समूह "घ" के पदों में दस प्रतिशत ।

(2) इस धारा में "समूह क, ख, ग और घ" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उक्त समूहों के अन्तर्गत आने वाले क्रमशः उक्त समूहों के पदों से है ।

कतिपय नियुक्तियों की विधिमान्यता।

3--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के सदस्यों की राज्य के कार्यकलाप से संबंधित किसी सेवा में या पद पर की गई नियुक्ति जो किन्हीं नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसरण में जिनमें ऐसे वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1989

निरसन और व्यपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

1--अहीर
2--अरख
3--काछी
4--कहार
5--केवट या मल्लाह
6--किसान
7--कोहरी
8--कुम्हार
9--कुर्मी
10--कम्बोज
11--कसगर
12--कुंजड़ा या राईन
13--गोसाई
14--गूजर
15--गड़ेरिया
16--गद्दी
17--गिरि
18--चिकवा (कस्साब)
19--छीपी
20--जोगी
21--झोजा
22--डफाली
23--तमोली
24--तेली
25--दर्जी
26--धोबर
27--नक्काल
28--नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29--नायक
30--फकीर
31--बंजारा
32--बढ़ई
33--बारी
34--बैरागी
35--बिन्द
36--बियार
37--भर
38--भुर्जी या भड़भूजा
39--भठियारा
40--माली
41--मनिहार
42--मुराव या मुराई
43--मोमिन (अंसार)
44--मिरासी
45--मुस्लिम कायस्थ
46--नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
47--मारछा
48--रंगरेज
49--लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
50--लोहार
51--लोनिया
52--सोनार
53--स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54--हलवाई
55--हज्जाम (नाई)

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव ।

U.P. Ordinance No. 11 of 1989

No. 1914 (2) /XVII-V—1-1 (KA) 50-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Pichhde Vargon Ka Arakshan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 1989.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR BACKWARD CLASSES) ACT, 1989

(U. P. ACT NO. 21 OF 1989)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the reservation of appointments or posts in favour of backward classes of citizens and to validate certain appointments.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 20, 1977.

Reservation of posts in favour of backward classes

2. (1) In public services and posts in connection with the affairs of the State there shall be reserved the following percentages of posts at the stage of direct recruitment in favour of backward classes of citizens specified in the Schedule,—

(i) fifteen per cent in Group A, Group B and Group C Posts;

(ii) ten per cent in Group D posts.

(2) In this section groups A, B, C and D mean the groups of posts respectively falling in the said groups under the orders of the State Government for the time being in force.

Validation of certain appointments

3. Notwithstanding any judgement, decree or order of any court, any appointment of the members of backward classes of citizens specified in the Schedule to any post or service in connection with the affairs of the State made in pursuance of any rules or Government orders providing for reservation for such class shall be deemed to have been made under the provisions of this Act and shall be deemed to have always been valid.

Repeal and saving

U.P. Ordinance No. 11 of 1989

4. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Ordinance, 1989, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

SCHEDULE

(*See* SECTIONS 2 AND 3)

1. Ahir
2. Arakh
3. Kachchi
4. Kahar
5. Kewat or Mallah
6. Kisan
7. Koeri
8. Kumhar
9. Kurmi
10. Kamboj
11. Kasgar
12. Kunjra or Raeen
13. Gosain
14. Gujar

SCHEDULE

(*See* SECTIONS 2 AND 3)

15. Gadariya
16. Gaddi
17. Giri
18. Chikwa (Qassab)
19. Chhippi
20. Jogi
21. Jhoja
22. Dhafali
23. Tamoli
24. Teli
25. Darzi
26. Dhiver
27. Naqqal
28. Nat (Those not included in Scheduled Castes category)
29. Naik
30. Faqir
31. Banjara
32. Barhai
33. Bari
34. Beragi
35. Bind
36. Biyar
37. Bhar
38. Bhurji or Bharbhunja
39. Bhathiara
40. Mali
41. Manihar
42. Murao or Murai
43. Momin (Ansar)
44. Mirasi
45. Muslim Kayastha
46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori
47. Marchchas
48. Rangrez
49. Lodh, Lodha, Lodhi, Lot, Lodhi-Rajput.
50. Lohar
51. Lonia
52. Sonar
53. Sweeper (Those not included in Scheduled Castes category.)
54. Halwai
55. Hajjam (Nai)

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 158सा०(विधा०)-(2372)-1989-850(मेक०)।